प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 25/08/2026

थाना औराई पु लस द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, आपरा धक धमकी, उकसाने और अवैध रूप से बंधक बनाने जैसे गंभीर अपराधों में वांछित अ भयुक्त अं कत बरनवाल गरफ्तार

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

थाना औराई के अंतर्गत पंजीकृत मु0अ0सं0 356/26 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/117(2)/127(1) बीएनएस के तहत नामजद अ भयुक्त पु लस कार्रवाई और गरफ्तारी से बचने के लए लगातार छिपा हुआ था। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पु लस टीम ने घेराबंदी करके त्वरित कार्रवाई करते हुए अ भयुक्त को गरफ्तार कया।

गरफ्तारी का ववरण:-

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में औराई पु लस टीम द्वारा आज दिनांक 25.08.2026 को घो सया अण्डरपास के पास वाले स र्वस लेन से अ भयुक्त को गरफ्तार कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण:-*

अ भयुक्त अं कत बरनवाल (उम्र लगभग 30 वर्ष) पुत्र कमलेश बरनवाल, निवासी घो सया थाना औराई, जनपद भदोही।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

अ भयुक्त को गरफ्तार करने वाली पु लस टीम में निरीक्षक सेतान्शू शेखर पंकज, उ0नि0 सतीश कुमार, हे0का0 जितेन्द्र कुमार, का0 प्रयांक पारासर, का0 वैभव संह तथा हे0का0 चा0 इमरान अहमद थाना औराई जनपद भदोही।